न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

चौथमल उनवान बनाम बृजमोहन

किस्म मुकद्दमा धारा-223 मि. नं. 2022/7 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री राकेश नागर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/1/2024.	पत्रावली पेश हुई । कोर्ट कैम्प स्थगित / (अधीनस्थ न्याया. का रेकार्ड प्राप्त हो चुका है।) कंडोलेन्स/हडताल होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/3/24 को पेश हो । (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	R-1 20015 तलबी शेष 20/3/24
20/3/24	पत्रावली पेश हुई/आज कोर्ट कैम्प स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते नोटिस दिनांक 05/6/24 को पेश हो । (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	05/6/2024
5.6.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण एवं उनके अभिभाषक को तीन बार रूक-रूक कर आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया, रेस्पो क्र. 1 ता. 15 के नोटिस सम्मन तामील जरिये रजि० ए०डी० आदिनांक तक पेश नहीं किये गये हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी)। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अदम हाजरी

07

20/1/22

24/1/22
PD

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा

केम्प बारां जिला बांरा , राज0

1– चौथमल पुत्र श्री धन्ना जाति धाकड नि0 बमोरीघाटा तहसील छीपाबडोद जिला बांरा , राज0 (मृतक)

1/1– परमानन्द आयु 36 वर्ष पुत्र श्री चौथमल

1/2– शीलाबाई आयु 39 वर्ष पुत्री श्री चौथमल

1/3– सोनाबाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्री चौथमल

1/4– सुशीलाबाई आयु 27 वर्ष पुत्री श्री चौथमल

1/5– शांतिबाई आयु 62 वर्ष बेवा श्री चौथमल

जातिगण धाकड नि0 बमोरीघाटा तहसील छीपाबडोद

2– शंकर पुत्र धन्ना

3– नन्द जी पुत्र धन्ना

4– भगवती बाई पुत्री धन्ना

5– बरदीबाई पुत्री धन्ना

6– जानकीबाई पुत्री धन्ना

जातिगण धाकड निवासीगण बम्बोरीघाटा तहसील छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

– प्रार्थीगण/अपीलान्ट

– बनाम –

1– बृजमोहन पुत्र गुलाबबाई

2– शंकर पुत्र गुलाबबाई

3– रूकमणी पुत्री गुलाबबाई

जातिगण धाकड निवासीगण बमोरीघाटा तहसील छीपाबडोद

4– रामकन्या उर्फ कन्याबाई पुत्री माधो जाति धाकड निवासी बमोरीघाटा तहसील छीपाबडोद जिला बांरा (मृतक)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

4/1– बाबूलाल पुत्र रामकन्या उर्फ कन्याबाई

4/2– रमेश पुत्र रामकन्या उर्फ कन्याबाई

4/3– पप्पू पुत्र रामकन्या उर्फ कन्याबाई

4/4– शांतिबाई पुत्री रामकन्या उर्फ कन्याबाई

4/5– बिरधीबाई पुत्री रामकन्या उर्फ कन्याबाई

4/6– राधाबाई पुत्री रामकन्या उर्फ कन्याबाई

जातिगण धाकड निवासीगण आनापुरा तहसील बमोरी जिला गुना, म0 प्र0

5– श्योजी पुत्र माधो जाति धाकड निवासी बमोरीघाटा तह0 छीपाबडोद जिला बांरा , राज0

6– भैरूलाल पुत्र किशना

7– रामचरण पुत्र किशना

8– गोविन्दीबाई पुत्री किशना

9– जगन्नाथ पुत्र कान्हा

10– रामस्वरूप पुत्र कान्हा

11– कैलाबाई पुत्री कान्हा

12– सत्यनारायण पुत्र भैरू

जातिगण धाकड निवासीगण बमोरी घाटा तहसील छीपाबडोद

13– संरपच, ग्राम पंचायत बमोरी घाटा तह0 छीपाबडोद

14– राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक, छीपाबडोद

15– राज0सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडोद जि0 बांरा(राज0)

– अप्रार्थीगण/रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2017 निर्णय दिनांक 12.04.2017 बउनवान मुकदमा बृजमोहन वगैराह बनाम चौथमल वगैराह दावा

Sanyogita

धारा 88, 89, 91, 92(ए), 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट वाद सख्या 158/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडोद जिला बांरा, राज0

महोदय,

अपीलार्थीगण निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर निवेदन करते है –

1– यह कि रेस्पो0/वादीगण कम 1 ता 5 द्वारा अपीलान्ट/वादीगण कम 1 ता 6 व रेस्पो0 कम 7 ता 16 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय मे एक वाद धारा 88, 89, 91, 92(ए), 53 व 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया था । जिसमे दिनांक 12.04.2017 को एक तरफा निर्णय व एक तरफा प्रारम्भिक डिकी दिनांक 12.04.2017 पारित करते हुये आदेश दिया है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरी घाटा तहसील छीपाबडोद के खसरा नं. 309 रकबा 9.17 बीघा, खसरा नं. 746 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं. 752 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नं. 847 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नं. 848 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नं. 896 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 914 रकबा 2.18 बीघा, खसरा नं. 927 रकबा 5 बीघा एंव खसरा नं. 871 रकबा 11.18 बीघा मे से 1/2 का तथा खाता सं. 248 के खसरा नं. 1156/871 रकबा 21.05 बीघा मे से 2.05 बीघा का वादीगण एंव प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 को खातेदार घोषित किया जाता है । जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय मे पेश की जा रही है ।

2– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिकी खिलाफ कानून होने से काबिल खारजा है ।

Sanjay Jain